

सेण्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911



क्षेत्रीय कार्यालय - सागर पता: क्षेत्रीय कार्यालय: 7 सिविल लाइंस, यूनिवर्सिटी रोड, सागर (म.प्र.)

सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 9 (1) के अधीन 15 दिनों की विक्रय सूचना

प्रति,

श्री हुकुम सिंह पटेल पिता श्री प्रीतम सिंह पटेल

जमानतदार-श्री सुंदरलाल अहिरवार पिता बाबूलाल अहिरवार

पता -शाला मोहल्ला वार्ड क्रमांक 20, गौरझामर, जिला सागर, (मध्यप्रदेश)

विषय: ई -नीलामी विक्रय नोटिस- ऋण खाता - श्री हुकुम सिंह पटेल

खाता सं.	खाता प्रकार	संबंधित ऋण नाम	ऋण राशि
4055459879	सावधि ऋण	श्री हुकुम सिंह पटेल	18,00,000/-

जबकि आप उपरिनिर्दिष्ट ऋणकर्ता/जमानतदार/संपत्ति बंधककर्ता है एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के सहपठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) अंतर्गत जारी नोटिस दिनांक 01/05/2025 (श्री हुकुम सिंह पटेल) तथा तत्पश्चात धारा 13(4) के अंतर्गत जारी कब्जा नोटिस दिनांक 15/07/2025 (प्रकाशन -20/07/2025 दैनिक भास्कर एवं टाइम्स ऑफ इंडिया) की सूचना के बावजूद आज दिनांक तक बकाया रकम का प्रतिदाय करने में असफल रहने पर, प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिभूत आस्ति/स्थावर संपत्ति का विक्रय नीलामी के माध्यम से दिनांक 31/08/2026 (सुबह 10.00 बजे से) किया जाना प्रस्तावित है। नीलामी सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों दैनिक भास्कर एवं नई दुनिया में दिनांक 15/08/2026 को किया जाना है।

एतद्वारा आपको 15 दिनों का नोटिस दिया जाता है कि आप बकाया राशि के साथ सभी व्यय प्रभार तथा लागत का भुगतान कर प्रतिभूति का मोचन कर लें अन्यथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम के प्रावधानों तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार बकाया राशि की वसूली हेतु उपरोक्त निर्धारित तिथि को नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी।

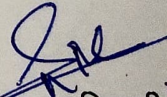
स्थावर संपत्ति का विवरण:

संपत्ति क्र.	ऋण खाता/ ऋणी/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार	मांग/ बकाया राशि	साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण
1	श्री हुकुम सिंह पटेल पिता श्री प्रीतम सिंह पटेल जमानतदार- श्री सुंदरलाल अहिरवार संबंधित शाखा: गौरझामर (म.प्र.)	रु. 19,24,618.59/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	साम्य बंधक भूमि/भवन: प्लॉट/खसरा नं 650/2, प.ह.न. 08, वार्ड क्र 20, मौजा गौरझामर, तह देवरी, जिला सागर (म.प्र.)। कुल माप क्षेत्र 41*21.5=881.5 वर्ग फीट। संपत्ति मालिक: श्री हुकुम सिंह पटेल पिता प्रीतम काछी पटेल, विक्री विलेख दिनांक 23-02-2018 संख्या: MP33742018A1123288 के अनुसार एसआरओ देवरी, चतु:सीमा - उत्तर: शाला मंदिर की संपत्ति, पूर्व:सरकारी सड़क, दक्षिण:श्री परम लाल का मकान, पश्चिम- परम लाल की जमीन। आरक्षित मूल्य : रु. 13,09,000/-

ऋणकर्ता/गारंटर/संपत्ति स्वामी का ध्यान वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(8) के प्रावधान के तहत उपलब्ध समय में प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्थान: सागर (म.प्र.)

तिथि: 14/08/2026


प्राधिकृत अधिकारी
सेण्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
क्षेत्रीय कार्यालय, सागर